उत्तराखंड में नए शहर बसाने का रास्ता साफ

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 30 | मूल्य 15 रुपये | 14-20 दिसंबर, 2025

राष्ट्रीय गीत के सम्मान पर सियासी संग्राम

National Energy Conservation Week

(14-20 December, 2025)

POSTER MAKING COMPETITION

on

Energy Conservation

Date: Wednesday, 17 December, 2025

Timings:

Registration: 9:00 AM Onwards

Competition: 10:00-11:00 AM

Prize Distribution: 12:00 NOON Onwards

ATTRACTIVE PRIZES

in Every Group

PARTICIPATION

GROUP A	GROUP B
6th- 8th Class	9th- 12th Class

Participation Certificates will be given to all the participants

Venue:

DOON INTERNATIONAL SCHOOL

Senior Wing, Dalanwala , Dehradun

For Participation Contact:

8433456398

वर्ष 15 | अंक 30

दिव्य हिमगिरि

14-20 दिसंबर, 2025

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

क्या बच्चे बच सकेंगे सोशल मीडिया के जाल से

इंटरनेट और स्मार्टफोन के आने के बाद सोशल मीडिया हर उम्र के लोगों की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब यह सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि लोगों की दिनचर्या, व्यवहार और सोच को गहराई से प्रभावित कर रहा है। एक स्टडी में सामने आया कि यह प्रभाव बच्चों के लिए बेहद नुकसानदायक है। रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया एप्स बच्चों के दिमागी विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आज के समय में स्कूल, कॉलेज, व्यवसायिक और अव्यवसायिक सब कोई सोशल मीडिया से जुड़ा है। यूजर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचौट पर हर समय सक्रिय रहते है। यह एक एल्गोरिदम है जो यूजर्स को बार-बार एप खोलने के लिए मजबूर करता है। जिससे वे अपने वास्तविक कार्यों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। नई स्टडी में इस तरह की डिजिटल आदतों को हानिकारक बताया गया है। इसमें कोई दोराय नहीं कि इंटरनेट की सुविधा ने दुनिया के दायरे को बहुत छोटा बना दिया है, लेकिन इसके समांतर एक सच यह भी है कि आभासी दुनिया में सोशल मीडिया के बहुतेरे मंचों पर सीमाओं से परे लोगों के बीच संवाद का विस्तार हुआ है, तो यथार्थ के धरातल पर लोग एक-दूसरे से दूर भी होते गए हैं। यह बहुत संभव है कि आस-पड़ोस के बच्चे सोशल मीडिया के किसी मंच पर तो आपस में दोस्त हों, संवाद करते हों और साथ में कोई गेम खेलते हों, लेकिन वास्तव में वे कभी नहीं मिलते। यानी आभासी दुनिया में बच्चों का दायरा विस्तृत होता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर वे अकेले होते हैं। ऐसे में बिना आहट के एकाकीपन का दंश बच्चों के भीतर उतरता है, जो उन्हें आत्मघाती अवसाद के घेरे में ला दे सकता है। किसी एप के संजाल में फंसे बच्चों के मनोवैज्ञानिक परेशानियों का शिकार होने से लेकर आत्महत्या करने तक की खबरें आती रही हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर अति-सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों के मद्देनजर बच्चों के लिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने या सीमित करने के सुझाव सामने आते रहे हैं। इस क्रम में आस्ट्रेलिया ने एक ठोस पहल करते हुए अपने यहां सोलह वर्ष से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बुधवार से पाबंदी लागू कर दी है। हालांकि संदेश भेजने और गेम खेलने वाले कुछ मंचों को इस प्रतिबंध से अलग रखा गया है। आस्ट्रेलिया में इस सख्त नियम के लागू होने के बाद बच्चों को उनका बचपन वापस मिलने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रतिबंध के लागू होने का स्वरूप क्या है और क्या वास्तव में सोशल मीडिया के संजाल से बच्चे बच सकेंगे। आज आधुनिक तकनीकी के दौर में इंटरनेट पर मौजूद किसी मंच पर पहुंचने के लिए कुछ बच्चे भी जिस तरह वैकल्पिक और उचित-अनुचित रास्ता निकाल लेते हैं, वैसे में पाबंदी कितनी कामयाब होगी, यह देखने की बात होगी। वहीं सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निर्धारित उम्र के प्रमाण के तौर पर अगर किसी दस्तावेज की मांग की जाती है, तो उसकी संवेदनशीलता, सुरक्षा और दुरुपयोग को लेकर नए सवाल खड़े होंगे! सोशल मीडिया से दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसे लेकर अमेरिका में एक रिसर्च की गई। जिसमें हजारों बच्चों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताने वाले बच्चों में ध्यान कम होने, बेचौनी और उतावलेपन जैसे लक्षण सामने आए। जोकि ।क्भ्क का संकेत हो सकता है। शोधकर्ता बताते हैं कि छोटी उम्र में बच्चों के दिमाग का विकास चल रहा होता है। ऐसे में डिजिटल डिस्ट्रैक्शन का असर और गंभीर हो जाता है।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

राष्ट्रीय गीत के सम्मान पर सियासी संग्राम

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन के दौर में करोड़ों भारतीयों के दिलों में राष्ट्रप्रेम की अलख जगाई, वही राष्ट्रीय गीत संसद के शीतकालीन सत्र में सियासी टकराव का केंद्र बन गया। जिस गीत के स्वर सुनकर कभी जेल की सलाखों के पीछे बैठे स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला बुलंद हो जाता था, उसी गीत के सम्मान और अर्थ को लेकर देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था में तीखी बहस देखने को मिली। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक, राष्ट्रीय गीत के सम्मान पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। यह बहस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने उस सवाल को फिर से सामने ला दिया कि क्या देश के राष्ट्रीय प्रतीकों पर भी राजनीतिक मतभेद हावी हो सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह के वक्तव्य के बाद शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते संसद के दोनों सदनों में गरमाया, जहां एक ओर राष्ट्रभावना और सम्मान की बात कही गई, तो दूसरी ओर लोकतांत्रिक असहमति और संवैधानिक मूल्यों का हवाला दिया गया। अपने ही देश में राष्ट्रीय गीत को लेकर बढ़ता यह टकराव कई मायनों में चिंताजनक माना जा रहा है और इसने पूरे देश का ध्यान संसद की इस बहस की ओर खींच लिया है। विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस सहित अन्य सांसदों ने सरकार पर राष्ट्रवाद को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। बहस इतनी तीखी हो गई कि मुद्दा केवल वंदे मातरम तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय प्रतीकों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संसदीय मर्यादाओं तक जा पहुंचा।

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह उस भारत की आत्मा है जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प लिया था। यह गीत देश की मिट्टी, मां के रूप में राष्ट्र की कल्पना और स्वतंत्रता संग्राम की चेतना से जुड़ा हुआ है। स्कूलों की प्रार्थना सभाओं से लेकर ऐतिहासिक आंदोलनों तक, वंदे मातरम ने करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधा है। लेकिन विडंबना यह है कि आज उसी राष्ट्रीय गीत को लेकर देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था संसद में तीखा राजनीतिक टकराव देखने को मिला। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में वंदे मातरम के सम्मान, उसकी भावना और उसके स्थान को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए। दरअसल राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने के मौके पर भारत सरकार की ओर से सालभर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में 8 दिसंबर को लोकसभा और 8 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा की गई। सोमवार को लोकसभा में वंदेमातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा की गई। इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इस दौरान उन्होंने वंदे भारत के 4 खंड हटाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के डर से कांग्रेस ने वंदे भारत का अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि किस तरह इस गीत ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष कर रहे लाखों लोगों में नई ऊर्जा भरी थी। उनके मुताबिक, राष्ट्रीय प्रतीकों पर सवाल उठाना या उन्हें राजनीतिक चश्मे से देखना देश की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद विपक्षी खेमे में असहजता दिखी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार पर राष्ट्रवाद के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों का कहना था कि किसी भी राष्ट्रीय गीत या प्रतीक का सम्मान स्वाभाविक और सर्वसम्मत

होता है, लेकिन उसे किसी राजनीतिक एजेंडे से जोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई चर्चा ने जल्द ही सियासी रंग ले लिया और बहस का स्वर तीखा होता चला गया। इसके बाद यह मामला राज्यसभा तक पहुंचा, जहां केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर सीधा और करारा हमला बोला। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम का विरोध या उस पर सवाल उठाना देश की आजादी की लड़ाई का अपमान है। उन्होंने कहा कि यह गीत किसी एक पार्टी या विचारधारा का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र का है। शाह ने यह भी जोड़ा कि जो लोग वंदे मातरम बोलने या उसका सम्मान करने में संकोच करते हैं, उन्हें देश के इतिहास को समझने की जरूरत है। अमित शाह के इस बयान के बाद राज्यसभा में हंगामा और तेज हो गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद अपनी सीटों से खड़े होकर विरोध जताने लगे। कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है और उन्हें देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसदों ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम का सम्मान हर भारतीय करता है, लेकिन इसे जबरन किसी राजनीतिक बहस का केंद्र बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे कहीं ज्यादा गंभीर हैं, लेकिन सरकार इनसे ध्यान हटाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उछाल रही है। विपक्ष के अन्य दलों, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और वाम दलों के नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जैसे विषय संवेदनशील होते हैं और इन पर सहमति और सम्मान की भावना के साथ चर्चा होनी चाहिए न कि आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक लाभ के लिए। वहीं विपक्षी सांसदों ने यह भी कहा कि देशभक्ति को साबित करने की जरूरत नहीं होती, यह व्यक्ति के कर्मों से झलकती है। लोकसभा में प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है। 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है। फिर आज इस पर बहस क्यों हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा- क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा। मोदी जी उसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् के टुकड़े किए। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना के सामने झुके थे। वंदे मातरम आजादी के समय से प्रेरणा का स्त्रोत था तो फिर उसके

बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया वंदे मातरम गीत ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी

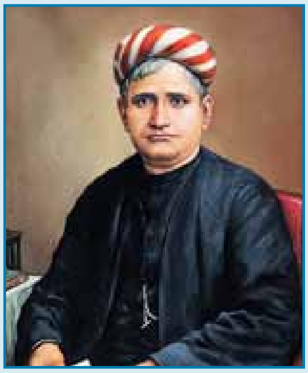

वंदे मातरम सिर्फ एक राष्ट्रीय गीत नहीं है बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा कहा जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई इस गीत ने भारत नें अंग्रेजों शासन की नींव हिला कर रख दी थी। सबसे पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में इस गीत का प्रकाशण हुआ। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे अपने अमर उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया जो 1882 में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास आनंद मठ से निकलकर पूरे भारत की रगों में यह गीत दौड़ने लगी। जिस-जिस क्रांतिकारी ने इसे सुना, उनके दिल में यह गीत घर कर गई। जेल की कोठरियां, फांसी का तख्ता, दमन की नीतियां। अंग्रेजों की कोई भी ताकत इस गीत की प्रेरणा को रोक नहीं पाया। वंदे मातरम की गूंज देश से निकलकर पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी थी। साल 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में जब भीकाजी कामा ने पहली बार भारतीय तिरंगे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर फहराया, उस ध्वज पर 'वंदे मातरम' गर्व से लिखा था। एक ऐसा संदेश, जिसने दुनिया को भारत के स्वतंत्रता-संकल्प से पहली बार परिचित कराया। इंग्लैंड में फांसी का सामना करते हुए मदनलाल धींगरा के होठों पर भी अंतिम क्षणों में यही शब्द थे 'वंदे मातरम। दक्षिण अफ्रीका में गोपालकृष्ण गोखले के स्वागत के दौरान भी यही गूंज सुनाई दी। विदेशों में बसे भारतीयों ने इसे स्वतंत्रता की पुकार मानकर अपनाया और यही गीत उन सभी दिलों की धड़कन बन गया, जो भारत को गुलामी से मुक्त देखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस गीत की रचना भले ही बंगाल में हुई। गीत में संस्कृत-बांग्ला का मिश्रण है, लेकिन सीमाओं के परे यह गीत पूरे देश में गूंज रही थी। आखिर में अंग्रेज हताश होकर 1907 में इसके गायन पर पाबंदी लगा दी थी। इस गीत से परेशान होकर अंग्रेजो नें 'बांटो और राज करो' की नीति अपनाई। हिंदुओं-मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग के नेताओं में यह जहर घोल दिया कि इस गीत को इस्लाम विरोधी और संप्रादियक बताने में कामयाब हो गए। साल 1909 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने "वंदे मातरम" का विरोध किया। लीग के अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने 'वंदे मातरम' को सांप्रदायिक और इस्लाम विरोधी करार देते हुए इसे अस्वीकार किया। लीग ने वंदे मातरम के गायन या पाठ को इस्लाम की मान्यताओं के खिलाफ बताया और कहा कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी अन्य के प्रति भक्ति या उपासना का कोई स्थान नहीं है। एक तरफ जहां देशभर में स्वतंत्रा सेनानी 'वंदे मातरम' गीत को अंग्रेजों के खिलाफ एक शस्त्र बना चुके थे। वहीं, दूसरी ओर मुस्लिम लीग इस गीत कर रहे थे। कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ गई। आखिर में कांग्रेस ने समाधान के रास्ते की तलाश की जिम्मेदारी पार्टी की एक कमेटी को सौंपी। साल 1937 में इस कमेटी ने "वंदे मातरम" का विरोध करने वालों की शिकायतें पर गौर किया। रवींद्र नाथ टैगोर, नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस की सदस्यता वाली इस कमेटी ने बीच का रास्ता निकाला। कमेटी ने न तो गीत को पूरी तौर पर स्वीकार किया और न पूरी तौर पर अस्वीकार। हल निकाला गया कि गीत के शुरू के दो पद्य दो गाए जाएंगे जिनमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है। साल 1950 में संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया। तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था वंदे मातरम ने स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, इसे 'जन गण मन' के समान सम्मान दिया जाएगा।

साथ पिछले दशक में अन्याय क्यों हुआ। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा- वंदे मातरम् राष्ट्रभक्तों के लिए एनर्जी है। कुछ लोगों को इससे एलर्जी है। अब जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम् से दिक्कत है। सपा प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, 'शजिस वंदे मातरम् ने आजादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम गाने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए है।' इस पूरे घटनाक्रम के दौरान संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल गरमाया रहा।

सोशल मीडिया पर भी वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई

सोशल मीडिया पर भी वंदे मातरम को लेकर बहस छिड़ गई। कुछ लोग सरकार के पक्ष में खड़े दिखे और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान अनिवार्य है। वहीं, कुछ लोगों ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि देशभक्ति को किसी एक विचारधारा की बपौती नहीं बनाया जा सकता। शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम पर हुई यह बहस सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने पूरे देश में एक बड़े विमर्श को जन्म दे दिया। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय गीत जैसे विषयों को राजनीतिक बहस से दूर रखा जाना चाहिए, या फिर इन्हें भी वैचारिक टकराव का हिस्सा बनने दिया जाएगा। वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। संसद में हुआ यह टकराव इस बात की याद दिलाता है कि राष्ट्रीय एकता और सम्मान जैसे मुद्दों पर संतुलन और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि मतभेद हों, लेकिन राष्ट्र के प्रतीकों पर सर्वसम्मति और सम्मान बना रहे। यह पहला मौका नहीं है जब वंदे मातरम संसद या राजनीति के केंद्र में आया हो। इससे पहले भी अलग-अलग समय पर राष्ट्रीय गीत और नारों को लेकर बहस होती रही है। हाल के वर्षों में स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम के गायन और इसके स्वरूप को लेकर भी चर्चाएं सामने आती रही हैं।

राज्यपाल ने किया "क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल" का शुभारंभ

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने आज राजपुर रोड़ स्थित एक होटल में दून कल्चरल एंड लिटरेरी सोसायटी द्वारा आयोजित ''क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल'' का शुभारंभ किया। फेस्टिवल के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल ने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए कहा कि क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल मात्र मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज, न्याय और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गंभीर संवाद की राह खोलता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की शांत और आध्यात्मिक भूमि पर इस प्रकार के आयोजन का होना दर्शाता है कि समाज वर्तमान चुनौतियों के प्रति सजग, संवेदनशील और उत्तरदायी है।

राज्यपाल ने कहा कि आज अपराध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, जिसमें साइबर अपराध, डिजिटल फ्रॉड, ड्रग्स से जुड़े मामले और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग जैसे नए खतरे सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में युवाओं के लिए तकनीकी जागरूकता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल समाज में सतर्कता, संवेदनशीलता और नई सोच को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम है।

राज्यपाल ने पुलिस बल के समर्पण, कठिन परिश्रम और जनसेवा की भावना की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं निभाती बल्कि समाज की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद, समझ और सहयोग बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम है।

इस अवसर पर प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने भी आयोजन की सराहना की और इसे समाजहित में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी अशोक कुमार, आलोक लाल, रणधीर अरोड़ा सहित अनेक साहित्यकार, चिंतक और विचारक उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में नए शहर बसाने का रास्ता साफ

उत्तराखंड में नए शहर बसाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लैंड पूलिंग (भूमि संयोजन) नीति और टाउन प्लानिंग योजना को मंजूरी मिलते ही योजनाबद्ध शहरी विकास का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से जहां निजी व सरकारी साझेदारी में नए शहरों के निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी, वहीं भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करने के लिए हाईटेंशन लाइन टावरों की जमीन का मुआवजा भी दोगुना कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी की सरकार ने जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश के तहत सात कानूनों से कारावास की सजा हटाकर जुर्माने में बढ़ोतरी कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और व्यावहारिक बनाने की दिशा में भी अहम कदम उठाया है। ये सभी निर्णय आने वाले समय में राज्य के विकास, निवेश और शहरी ढांचे को नई गति देने वाले माने जा रहे हैं।

उत्तराखंड में नए शहरों के विकास और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों को सरल बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने इस सप्ताह एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे कई फैसलों पर मुहर लगी है, जिनसे आने वाले वर्षों में राज्य का शहरी परिदृश्य, बुनियादी ढांचा, प्रशासनिक ढांचा और निवेश वातावरण नए सिरे से आकार लेगा। लंबे समय से लंबित लैंड पूलिंग (भूमि संयोजन) नीति को मंजूरी मिलना राज्य के शहरी विकास इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। यह नीति न सिर्फ नए शहरों की कल्पना को वास्तविकता का रूप देने में मदद करेगी, बल्कि उन चुनौतियों को भी कम करेगी जिनके कारण वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से नगरीकरण का विस्तार नहीं हो पा रहा था। राज्य की भूगोलगत परिस्थितियां, सीमित बसने योग्य भूमि और लगातार बढ़ते प्रवास ने शहरी योजना को नए समाधान खोजने की आवश्यकता पैदा की थी। अब सरकार के इस फैसले से निजी और सरकारी दोनों ही स्तर पर टाउनशिप और नए शहरों के विकास को गति मिलने की संभावना काफी बढ़ गई है। कैबिनेट ने जहां भूमि संयोजन नीति को मंजूरी देकर नए शहरों का रास्ता साफ किया है, वहीं भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को कम करने के लिए मुआवजे को भी दोगुना करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। हाईटेंशन लाइन के टावरों के लिए ली जाने वाली भूमि को लेकर अक्सर विवाद, विरोध और मुआवजे को लेकर असंतोष सामने आता था। कई मामलों में यह विरोध परियोजनाओं के रुकने या लंबे समय तक अटकने का कारण भी बनता रहा है। अब कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया है कि हाईटेंशन लाइन के टावर के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर जमीन मालिकों को बाजारी मूल्य का दो गुना मुआवजा दिया जाएगा। इससे न सिर्फ प्रभावित किसानों और भूमि मालिकों को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली से जुड़े बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी बिना बाधा आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा।

कैबिनेट की बैठक में एक और महत्वपूर्ण फैसला जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश से जुड़ा रहा। इस अध्यादेश के तहत सात अलग-अलग कानूनों में संशोधन कर कारावास की सजा को समाप्त करते हुए जुर्माना राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने भी इसी दिशा में कई कदम उठाए हैं, जहां अनावश्यक कारावास को हटाकर दंड प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसी राह पर चलते हुए ऐसे कानूनों की पहचान की है, जहां छोटी चूक या प्रक्रियागत त्रुटियां सीधे जेल भेजने का आधार बन जाती थीं। अब इन्हें संशोधित कर दिया गया है, जिससे न सिर्फ आम नागरिक को राहत मिलेगी, बल्कि प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे पर से भी अनावश्यक दबाव कम होगा। सरकार का मानना है कि इन कानूनों में किए गए बदलाव न तो अपराध को बढ़ावा देंगे और न ही किसी तरह की अव्यवस्था। बल्कि इससे अनावश्यक कठोरता समाप्त होगी और दंड प्रक्रिया अधिक परिणामकारी बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए प्रशासनिक, कानूनी और व्यवस्थागत स्तर पर लगातार सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में योजनाबद्ध शहरीकरण समय की मांग है और जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। धामी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि नए शहर बसाने से न सिर्फ रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि आवास, परिवहन, जल आपूर्ति, सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाओं के मामले में भी अधिक आधुनिक और सुगम संरचना विकसित की जा सकेगी। राज्य में पर्यटन, उद्योग, सेवा क्षेत्र और टेक्नोलॉजी आधारित निवेश लगातार बढ़ रहा है, जिसके मद्देनजर सरकार चाहती है कि इस वृद्धि का लाभ राज्य की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मिल सके। लैंड पूलिंग नीति का मुख्य उद्देश्य यह है कि अलग-अलग भूमि धारकों की छोटी-छोटी जमीनों को इकट्ठा कर योजनाबद्ध ढंग से बड़े भूखंडों का गठन किया जाए। इसके बाद इन भूखंडों पर सड़क, पानी, बिजली, पार्क, सामुदायिक भवन और अन्य बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएं। फिर भूमि मालिकों को उनकी भूमि का हिस्सा वापस दिया जाता है लेकिन पहले से अधिक सुविधाओं के साथ और बाजार मूल्य में वृद्धि के साथ। इस नीति को दिल्ली, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में काफी सफलता मिली है। अब उत्तराखंड में इसे लागू करने से ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर भूमि का उपयोग अधिक वैज्ञानिक और तार्किक रूप से हो सकेगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का विखंडन एक बड़ी समस्या है, जिससे छोटे-छोटे बिखरे प्लॉट पर बड़े प्रोजेक्ट विकसित करना कठिन हो जाता है। इसीलिए भूमि संयोजन नीति को यहां एक कारगर मॉडल की तरह देखा जा रहा है। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले का एक और बड़ा असर उन निवेशकों पर पड़ेगा, जो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आवास या व्यावसायिक परियोजनाएं शुरू करना चाहते हैं। अब उन्हें योजना बनाने में अधिक स्थिरता और स्पष्टता मिलेगी। पर्यावरणीय संतुलन और भौगोलिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही ऐसी योजनाओं को लागू किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वाधिक संवेदनशील वन क्षेत्रों या आपदा-प्रभावित इलाकों में इस नीति का उपयोग अत्यंत सावधानी के साथ किया जाएगा। लेकिन जहां भूमि उपलब्ध है और भूगर्भीय स्थिरता की दृष्टि से विकास संभव है, वहां नए शहर विकसित करने की राह पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान होगी। सात कानूनों में संशोधन कर दी गई राहतों का भी राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। कई छोटे व्यापारी, व्यावसायिक संस्थान, परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़े नागरिक पहले मामूली चूक पर जेल

अब उत्तराखंड में शहरी विकास योजनाओं पर धामी सरकार का फोकस

उत्तराखंड में शहरी योजनाएं और भूमि-अधिग्रहण से जुड़ी नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार काफी समय से तैयारियों में जुटी हुई थी। पिछले साल से ही राज्य में भूमि उपयोग, भूमि संरक्षण और योजनाबद्ध विकास पर विस्तृत चर्चा शुरू हो गई थी। खासकर भूमि कानून को लेकर प्रदेश में व्यापक मांग और विरोध दोनों देखे गए थे, क्योंकि पहाड़ों में जमीन गिरती आबादी, पलायन और बाहरी निवेश को लेकर चिंता बढ़ रही थी। इस पर 2025 के शुरू में ही धामी सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि वह जमीन से जुड़े नियमों को सख्त और पारदर्शी बनाएगी ताकि स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हो सके और भूमि का अवैध उपयोग रोका जा सके इसके लिए सरकार ने नए भू कानून को कैबिनेट में मंजूरी देने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में विधानसभा सत्र में पेश करने का प्रावधान किया गया था। इसी संदर्भ में सरकार ने भूमि संयोजन/लैंड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम पर भी विचार शुरू किया था। यह योजना गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के मॉडल से प्रेरित है, जहां बिना भारी बजट के योजनाबद्ध ढंग से नए शहरों और सैटेलाइट टाउनशिप का विकास किया गया है। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार की योजना को लागू कराने की तैयारी लंबे समय से चल रही थी, ताकि भूमि की पारदर्शिता, निवेश आकर्षण और सुगम शहरी विस्तार सुनिश्चित किया जा सके। धामी सरकार के अंदर भी भूमि नीति को लेकर अधिकारियों, शहरी नियोजन विशेषज्ञों और स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठकें होती रहीं, ताकि पहाड़ों के संवेदनशील भूगोल को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट और टिकाऊ शहरों का निर्माण हो सके। यह तैयारी धीरे-धीरे एक नीति रूप में विकसित होती गई, जिससे अंततः टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग नियम 2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी जा सका। कुछ मामलों में भूमि से जुड़ी विवादित घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार ने कार्रवाई की थी, जैसे हरिद्वार में भूमि घोटाले के संदर्भ में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था। यह दिखाता है कि भूमि नीति और उसके क्रियान्वयन को लेकर सरकार गंभीर है और अनियमितताओं से निपटने का प्रयास कर रही है। इस तरह धामी सरकार के फैसले का आधार पिछले कई महीनों की तैयारी, नीति निर्माण, सार्वजनिक मांग और भूमि संरक्षण के विवादों पर प्रतिक्रिया दोनों रहा है। यह सिर्फ एक नई नीति लागू करने का निर्णय नहीं है, बल्कि एक लंबे लोकतांत्रिक, प्रशासनिक और स्थिरता आधारित प्रक्रिया का परिणाम है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ाया है।

जाने के खतरे में रहते थे। इन प्रावधानों के हटने से अब जुर्माना बढ़कर लगाया जाएगा, लेकिन जेल भेजने जैसी कठोर कार्रवाई नहीं होगी। इससे एक ओर जहां नागरिकों में अनावश्यक भय समाप्त होगा, वहीं भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होगी, क्योंकि अक्सर प्रशासनिक स्तर पर छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा बनाकर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दी जाती थी। अब दंड प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध होगी। इन सभी निर्णयों के सामूहिक प्रभाव से उत्तराखंड में विकास की नई गति की उम्मीद की जा रही है। राज्य में पहले से ही चारधाम यात्रा मार्ग, ऑल-वेदर रोड प्रोजेक्ट, नई सुरंगों, रेलवे विस्तार और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े कार्य तेजी से हो रहे हैं। ऐसे में नए शहरों और नई टाउनशिप का विकास इन परियोजनाओं को और अधिक फलदायी बनाएगा। सरकार का इरादा यह भी है कि आने वाले वर्षों में राज्य के मैदानी और पहाड़ी दोनों हिस्सों में संतुलित विकास हो सके। खास तौर पर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की और काशीपुर जैसे मैदानी शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए नए विकल्प तैयार किए जा सकें।

विकास के इन कदमों के साथ ही स्थानीय लोगों की भागीदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि भूमि मालिकों के हितों की रक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोगुने मुआवजे की व्यवस्था इसी दिशा में उठाया गया एक संतुलित निर्णय है। आने वाले महीनों में यह देखा जाएगा कि इन नीतियों को लागू करने में प्रशासन कितनी तेजी और पारदर्शिता अपनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन्हें ईमानदारी, प्लानिंग और विशेषज्ञता के साथ लागू किया गया, तो उत्तराखंड आने वाले समय में योजनाबद्ध और आधुनिक शहरी विकास का एक उत्कृष्ट मॉडल बन सकता है। इन फैसलों का वास्तविक क्रियान्वयन आने वाले वर्षों में उसकी सफलता तय करेगा, लेकिन इतना साफ है कि राज्य सरकार ने अपने इरादों को बेहद स्पष्ट कर दिया है। वह उत्तराखंड को विकास के एक नए दौर में ले जाने के लिए तैयार है, जहां शहरी ढांचे की मजबूती, निवेश बढ़ोतरी, प्रशासनिक सरलता और नागरिकों की सुविधा, इन सभी को एक साथ प्राथमिकता दी जा रही है। यह सप्ताह उत्तराखंड के लिए नीतिगत सुधारों का ऐसा चरण लेकर आया है, जो आने वाले समय में राज्य के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी विकास की धुरी साबित हो सकता है।

उत्तराखंड में छह प्रमुख रोप-वे परियोजनाओं को मंजूरी

उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के विकास में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर छह प्रमुख रोप-वे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनमें से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे परियोजनाओं का कार्य आवंटित कर दिया गया है। यह कदम न केवल श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएगा, बल्कि अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा देगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई रोप-वे विकास संचालन समिति की बैठक में यह जानकारी साझा की गई। बैठक में रोप-वे परियोजनाओं की प्रगति, डीपीआर तैयारियों और वन एवं पर्यावरण अनुमोदन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सरकार ने भविष्य में नए पर्यटन स्थलों और मार्गों के विस्तार के लिए रोडमैप तैयार करने पर भी जोर दिया।राज्य भर में प्रस्तावित 50 रोप-वे परियोजनाओं में से छह को प्राथमिकता दी गई है। इन परियोजनाओं में न केवल धार्मिक स्थलों तक पहुंच सुगम होगी, बल्कि पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड को एक वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्राथमिकता के आधार पर छह प्रमुख रोप-वे परियोजनाओं को चयनित किया गया है, जिनमें से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब परियोजनाओं का कार्य आवंटित कर दिया गया है। यह निर्णय शुक्रवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में हुई रोप-वे विकास संचालन समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में कुल 50 रोप-वे परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा है, जिनमें से छह परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया गया। यह निर्णय न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यटन के दीर्घकालिक विकास में भी मील का पत्थर साबित होगा। बैठक में चयनित छह परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग से केदारनाथ और चमोली जिले में गोविन्दघाट से हेमकुंड साहिब रोप-वे परियोजनाओं का कार्य आवंटित कर दिया गया है।

वहीं, नैनीताल जिले में काठगोदाम से हनुमानगढ़ी मंदिर परियोजना अभी अनुमोदन के चरण में है। इसके अतिरिक्त, रुद्रप्रयाग

तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की यात्रा आसान और सुरक्षित होगी

उत्तराखंड में हाल ही में प्राथमिकता के आधार पर चुनी गई छह प्रमुख रोप-वे परियोजनाओं का उद्देश्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाना भी है। इन परियोजनाओं में विशेष रूप से केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोप-वे शामिल हैं, जिनका कार्य पहले ही आवंटित कर दिया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल यात्रा करना लंबे समय और अधिक शारीरिक मेहनत की मांग करता है। रोप-वे परियोजनाओं से श्रद्धालु आसानी से तीर्थस्थलों तक पहुँच सकेंगे, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। विशेषकर बुजुर्ग और शारीरिक रूप से कमजोर लोग अब सुरक्षित और आरामदायक रूप से यात्रा कर पाएंगे। पहाड़ों में अचानक मौसम बदलना आम बात है और कई बार लंबी पैदल यात्रा जोखिमपूर्ण हो जाती है। रोप-वे के माध्यम से हवाई मार्ग से सुरक्षित यात्रा संभव होगी, जिससे दुर्घटना या जोखिम की संभावना काफी कम हो जाएगी। केदारनाथ, हेमकुंड साहिब और अन्य प्रमुख तीर्थस्थलों पर सालाना लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे मार्गों पर भारी भीड़ और जाम लग जाता है। रोप-वे के आने से पैदल मार्गों पर भीड़ कम होगी और यात्रा अधिक सुव्यवस्थित ढंग से पूरी होगी।

रोप-वे परियोजनाओं में उच्च तकनीक की केबिन और आधुनिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे। इससे यात्रा अधिक आरामदायक होगी। साथ ही, यह पर्यावरण के अनुकूल तरीका है, क्योंकि भारी वाहन मार्गों पर कम चलेंगे और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदूषण भी कम होगा। रोप-वे से श्रद्धालु ऊंचाई से पर्वतीय दृश्य और घाटियों का मनोरम दृश्य देख पाएंगे। यह यात्रा को केवल तीर्थयात्रा नहीं, बल्कि एक संपूर्ण अनुभव बना देगा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा है कि आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद नई पर्यटन और तीर्थस्थलों तक रोप-वे मार्ग का विस्तार किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं के लिए और अधिक स्थानों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। इन परियोजनाओं के पूरे होने से उत्तराखंड के तीर्थस्थलों में आधुनिक, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का नया युग शुरू होगा। यह कदम न केवल तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

में कनकचौरी से कार्तिक स्वामी रोप-वे परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है। उत्तरकाशी जिले में रैथल बारसू से बरनाला और चमोली जिले में जोशीमठ-औली-गौरसों रोप-वे परियोजना के लिए डीपीआर के निविदा प्रक्रिया की कार्यवाही जारी है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोनप्रयाग से केदारनाथ एवं गोविन्दघाट से हेमकुंड साहिब परियोजनाओं के प्रत्येक चरण की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए और साथ ही पर्ट चार्ट (परियोजना मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक चार्ट) तैयार कर कार्य की निगरानी की जाए। उन्होंने वन एवं वन्यजीव स्वीकृतियों की प्रक्रिया में तेजी लाने पर भी जोर दिया। रोप-वे निर्माण के लिए भारी मशीनों और उपकरणों को निर्माण स्थल तक पहुंचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण में टर्निंग रेडियस बढ़ाने और पुलों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि निर्माण कार्य समय पर और सुरक्षित रूप से पूरा हो सके। काठगोदाम से हनुमानगढ़ी मंदिर रोप-वे परियोजना में कैंचीधाम को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि बढ़ती श्रद्धालु संख्या को देखते हुए कैंचीधाम तक रोप-वे की संभावनाओं को गंभीरता से तलाशा जाए। काठगोदाम से हनुमानगढ़ी पहुंचने के बाद नैनीतालख्रअल्मोड़ा मार्ग पर स्थित कैंचीधाम हजारों श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख स्थल बन चुका है, जहां दूर-दूर से बाबा नीम करोली के आश्रम तक आने वाले भक्त पहुंचते हैं। मुख्य सचिव ने रोप-वे विकास समिति की प्रथम बोर्ड बैठक इस माह के अंत तक अनिवार्य रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए। इस समिति के लिए सचिव पर्यटन सदस्य सचिव होंगे। उन्होंने कहा कि सभी बड़ी रोप-वे परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद अगले पांच से दस वर्षों में स्थानीय स्तर पर विकसित होने वाले नए पर्यटन स्थलों और मार्गों के विस्तार के लिए अभी से रोडमैप तैयार कर लिया जाए। इन परियोजनाओं के पूरा होने से न केवल तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी, बल्कि यह पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा। आने वाले वर्षों में उत्तराखंड एक प्रमुख पर्यटन और तीर्थाटन केंद्र के रूप में उभरेगा, जहां रोप-वे परियोजनाएं पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास का आधार बनेंगी।

हरिद्वार में जन्मे थे एक महान शिवभक्त मौनी बाबा!

डॉ श्रीगोपाल नारसन एडवोकेट

मुझे बचपन से ही अनेक संत साधु,महात्माओ, सद्पुरुषों, साध्वी, विदुषियों का आशिर्वाद मिलता रहा है, जिनमे महामंडलेश्वर से लेकर शंकराचार्य तक की गिनती की जा सकती है। लेकिन जो चेहरे पर तेज और रूहानियत का साक्षात्कार मुझे ज्ञान मार्ग की राजयोगिनी 104 वर्षीय दादी जानकी व भक्तिमार्ग के मौन साधक 106 वर्षीय मौनीबाबा से मिलकर हुआ था, उसे शब्दो मे अभिव्यक्त कर पाना आज भी सम्भव नही है। मौनीबाबा से मैं एक बार नही उनके ब्रह्मलीन होने से पहले कई बार मिला। देश के जाने माने साहित्यकार डॉ योगेंद्र नाथ शर्मा 'अरुण' ने जब से मौनीबाबा को मेरे बारे में बताया कि मैं हरिद्वार में 14 अगस्त सन 1942 को आजादी के आंदोलन में शहीद हुए जगदीश प्रसाद वत्स का भांजा हूं, तब से मौनी बाबा मुझसे बेहद स्नेह करने लगे थे। उनकी मौन मुखर मुस्कुराहट मुझे मेरे अंतकरण तक को अजीब सी ठंडक पहुंचाती थी। लगता था जैसे मौनीबाबा का सनिदय अनवरत मिलता रहे। परमात्मा शिव के परम उपासक मौनीबाबा के एक रुद्राभिषेक कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस कार्यक्रम की आभा देखते ही बन रही थी। मौनीबाबा साक्षात रुद्र रूप में मुस्कुराते नजर आ रहे थे। यह सच है भी है कि अगर कोई मौन में रहे अर्थात बोलने में अपनी उर्जा खर्च न करे तो वह दिर्धायु और सदैव उर्जावान रहता है। साथ ही मौन में रहने के कारण ऐसे व्यक्तियों में व्यर्थ के विचार भी जन्म नही लेते। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति सहज ही ईश्वर का सानिदय प्राप्त कर लेता है। ऐसी महान विभूति थी मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी के सन्त सदपुरूष मौनी बाबा, जो अपने जीवन के पांच दशको तक मौन में रहे और शिव अराधना करके तथा भगवान शिव की तपस्या में लीन रहकर जनकल्याण करते रहे। इन्ही मौनी बाबा के कारण मौनी बाबा का

शिप्रा तट पर बसा आश्रम एक धाम के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। जो लोग उज्जैन में भगवान भोलेनाथ महाकाल के दर्शन करने जाते है, वे मौनी बाबा के आश्रम आकर अपने जीवन के एक शतक से भी ज्यादा समय से प्रभु भक्ति में लीन रह रहे मौनी बाबा के दर्शन करना नही भूलते थे। हमेशा साधनारत होने के कारण मौनी बाबा के दर्शन करना सहज भी नही था। संसारिक दुनिया से दूर रहकर हर समय साधनारत रहने वाले मौनी बाबा शतायु होकर भी न सिर्फ तेजस्वी रहे बल्कि आध्यात्म की प्रतिमूर्ति भी रहे, लेकिन अपने भक्तों को समय समय पर आर्शीवाद देकर वे संसारिक लोगो को सन्मार्ग दिखाते रहे। तभी तो उन्हे पूरी दुनिया गुरू के रूप देखती, मानती और स्वीकारती रही है। शास्त्रों में गुरू शब्द के शाब्दिक अर्थ 'भारी' को अपनी तपस्या से सिद्ध कर चुके मोनी बाबा आयु व चेहरे पर तेज की दृष्टि से आध्यात्मिक क्षेत्र में सिद्ध पुरूष रूप में प्रतिष्ठित हुए है। कहा भी गया है कि जो ज्ञान से भारी है, वह गुरू है और मौनी बाबा का ज्ञान स्वयं में एक ऐसा अथाह सागर है जिसकी थाह ले पाना भी आसान नही है। गुरू शब्द जिसके सामने लग जाता है उसे अन्यो से श्रेष्ठतम और विशिष्ठतम बना देता है। यथा गुरूत्वाकर्षण, गुरूज्ञान आदि, यही गुरु की महत्ता है। चूंकि मौनी बाबा भी श्रेष्ठ महापुरूष रहे। इसी कारण मौनी बाबा के नाम से मौनतीर्थ धाम प्रतिष्ठा सम्पन्न हुआ है।

वस्तुत: गुरू को ही विष्णु, गुरु को ही ब्रहमा और गुरु को ही महेश्वर कहा गया है। मौनी बाबा भी गुरु देवता तूल्य रहे है। मौनी बाबा की इस तुलना का अर्थ मात्र गुरू का महिमा मण्डन करना मात्र नही है। कई मायनो में मौनी बाबा भी ब्रहमा, विष्ण ु व महेश के समतूल्य कहे जा सकते है। क्योकि मौनी बाबा ही थे जो अपने शिष्यो और अनुयायियों को ब्रहमा, विष्णु और महेश से मिलाने के लिए, उन्हे आत्मसात करने का मार्ग बताते रहे। तभी तो प्रभु शरणम से पहले गुरू शरणम का प्रचलन है।

अपने जमाने के युगप्रर्वक संत कबीर दास ने गुरू के सच्चे रूप और कार्य का वर्णन अपने एक दोहे में किया है। गुरू गोविन्द दोउ खडे काके लागू पाये, बलिहारी गुरू आपनो गोविन्द दियो बताए। यानि गुरू और गोविन्द दोनो खडे हो और पहले पैर किसके छूयें को लेकर संशय हो तो पहले गुरू के पैर छूने चाहिए क्योकि गुरू ही वह माध्यम है जो गोविन्द से मिलने का मार्ग बताता है। कई बार गुरू और अध्यापक को एक दूसरे का पर्याय मान लिया जाता है। परन्तु यह ठीक नही है। गुरू और अध्यापक एक नही हो सकते। अध्यापक अधिकाशत भौतिक विधाएं सिखाता है। लेकिन गुरू मनुष्य रूपी शिष्य को पूर्ण रूपेण विकास व समग्र कल्याण के लिए तैयार करता है। उसी प्रकार मौनी बाबा अपने भक्तों को शिवमय बनने का रास्ता दिखाकर अपने भक्तों पर उपकार करते रहे है। जो मौनी बाबा की सोच थी कि, मनुष्य जीवन का उददेश्य है जीवन मरण के चक्र से निकलना और अपने कर्मो को भोगकर मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष प्राप्ति की इस प्रक्रिया में गुरू की भूमिका बहुत बडी है। गुरू अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। साथ ही अनेक भौतिक विधाओं का ज्ञान देता है। गुरू ही वह व्यक्ति है जो सत्य और असत्य के बीच का अन्तर समझाकर अपने शिष्य को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब तक मनुष्य अपने सभी कर्तत्यों को पूर्ण कर प्रभु प्राप्ति के पथपर अग्रसर नही होता, तब तक गुरू उसे निरंतर निर्देश देकर उसे अपने उददेश्य की सतत याद दिलाता रहता है। ताकि शिष्य गुरू की इच्छा के अनुरूप जीवन के सन्मार्ग पर चलकर गुरू को अमरत्व प्रदान कर सके।

वैदिक दर्शन में गुरू को एक चेतन देवता माना गया है। माता, पिता, पति, पत्नि, आचार्य इन सभी को चेतन देवता कहा गया है।

प्राइवेट विश्वविद्यालयों का ऑडिट बदलेगा हायर एजुकेशन का चेहरा!

डॉ. सुशील उपाध्याय
लेखक एवं शिक्षाविद

सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश, जिसमें देश की सभी प्राइवेट और प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालयों के राष्ट्र स्तरीय ऑडिट के निर्देश दिए गए हैं, भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण टर्निंग प्वाइंट सिद्ध होने जा रहा है। यह आदेश एक छात्रा की शिकायत के आधार पर दिया गया है जो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा परेशान किए जाने को लेकर कोर्ट पहुंची थी। अनेक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नियमों का पालन न किए जाने की गंभीरता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में भारत सरकार के शिक्षा सचिव, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा यूजीसी के शीर्ष अधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी बनाया है। अब इन सभी को शपथपत्र देकर प्राइवेट और डीम्ड विश्वविद्यालयों के विषय में व्यापक और सत्यापित विवरण प्रस्तुत करने होंगे। इस पूरे प्रकरण का केंद्रीय प्रश्न यह है कि क्या देश के प्राइवेट और प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालय वास्तव में सोशल सर्विस (जैसा कि प्राइवेट विश्वविद्यालय संचालित करने वाली संस्थाओं द्वारा दावा किया जाता है) मॉडल पर कार्य कर रहे हैं या वे पूर्णतः व्यवसायिक दृष्टि (रेवेन्यू मॉडल) से संचालित हो रहे हैं? यह कोई छिपी बात नहीं कि अधिकांश प्राइवेट स्वामित्व वाले विश्वविद्यालय व्यवसायिक मॉडल पर संचालित हैं। यूं तो विश्व के अनेक देशों में उच्च शिक्षा संस्थान व्यवसायिक मॉडल पर कार्य करते हैं, परंतु वहां गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं होता।

भारत में अनेक प्राइवेट विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता को लेकर लगातार प्रश्न उठते रहे हैं। इनमें डिग्री बेचे जाने से लेकर फेक डिग्री तक के मामले सामने आ चुके हैं। ये घटनाएं उच्च शिक्षा की बुनियाद पर गहरी चोट हैं। भारत के प्राइवेट और प्राइवेट डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थिति को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों बांटकर में समझा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे विश्वविद्यालय आते हैं जिन्हें नैक अथवा इससे उच्च वैधानिक एजेंसियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का प्रत्यायन ग्रेड प्राप्त है और जो एनआईआरएफ की शीर्ष 200 की सूची में भी शामिल हैं। ऐसे विश्वविद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करते हैं, परंतु उनकी फीस संरचना अत्यंत ऊंची है। उदाहरण के तौर पर देहरादून स्थित एक प्राइवेट विश्वविद्यालय बीटेक कार्यक्रम के लिए लगभग सात लाख रुपये वार्षिक शुल्क लेती है, अर्थात चार वर्ष की डिग्री की लागत लगभग 28 लाख रुपये तक पहुँच जाती है। यह मात्र एक उदाहरण है, देश में ऐसे पचासों उदाहरण आसानी से मिल जाएंगे जहां इस स्तर की फीस वसूली जा रही है। इन विश्वविद्यालयों के संदर्भ में शुल्क नियमन एक बड़ी नीति-चुनौती है, क्योंकि गुणवत्ता उपलब्ध होने के अर्थ मनमाना शुल्क वसूल करना नहीं है। दूसरी श्रेणी के विश्वविद्यालय वे हैं जो औसत स्तर के हैं और जिनमें से अधिकांश को नैक द्वारा मूल्यांकित किया गया है और ऐसे अधिकतर विश्वविद्यालय बी ग्रेड के आसपास ही पाए गए हैं। इन संस्थानों के मामले में ऑडिट से यह तथ्य सामने आएगा कि प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी संरचनात्मक सुविधाओं में गंभीर कमी और न्यूनताएं मौजूद हैं। हालांकि ये डिग्रियों की खरीद बिक्री में शामिल नहीं हैं। इस श्रेणी के विश्वविद्यालयों में शुल्क पहली श्रेणी जितना ऊंचा नहीं है, परंतु उनकी गुणवत्ता भी औसत से नीचे ही है। तीसरी श्रेणी में वे विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं जिनकी गतिविधियाँ अनेक स्तरों पर संदिग्ध पाई गई हैं। इनमें से कई प्राइवेट विश्वविद्यालय डिफॉल्टर घोषित किए जा चुके हैं और कुछ पर पीएचडी उपाधि प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। यह वे संस्थान हैं जहां स्नातक से लेकर शोध उपाधि तक की डिग्री की खरीद-फरोख्त के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। यूजीसी भी इन गतिविधियों से अनजान नहीं है, और वह प्रत्येक वर्ष कुछ विश्वविद्यालयों को ब्लैकलिस्ट करती रही है, परंतु इन पर अभी तक पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं हो पाया है। ऐसे विश्वविद्यालयों की अनुचित गतिविधियों के कारण अच्छी श्रेणी के विश्वविद्यालय भी संदेह की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से इसलिए कि वर्तमान में यूजीसी के स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। सरकार द्वारा इसका बिल तैयार किया गया है, जिसमें लॉ और मेडिकल को छोड़कर अन्य सभी नियंत्रण, नियमन, फंडिंग और नीति निर्माण के कार्य इसी आयोग के पास होंगे। इस संक्रमणकालीन परिस्थिति के संदर्भ में सबसे उपयुक्त उपाय यह होगा कि सर्वो न्यायालय की निगरानी में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें शिक्षा नीति, शैक्षिक प्रशासन, वित्तीय प्रणाली प्रबंधन, तकनीकी

विशेषज्ञता तथा उच्च शिक्षा क्षेत्र के स्वतंत्र और तटस्थ व्यक्तियों को शामिल किया जाए। इस टास्क फोर्स को प्राइवेट विश्वविद्यालयों की संस्थागत संरचना, वित्तीय स्थिति, प्रवेश एवं परीक्षा प्रणाली, उपाधि पंजीकरण, उपाधि वितरण तथा प्रबंधन व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करनी चाहिए। प्राइवेट विश्वविद्यालयों को सही दिशा में विनियमित करना कठिन नहीं है, बशर्ते केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और यूजीसी उस स्तर गंभीर कार्यवाही करके दिखाए जिसकी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्त की है। इस क्रम में सबसे पहली आवश्यकता विश्वविद्यालयों के उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधनों की जांच की है। जिन मानकों का निर्धारण भारत सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के लिए करती है, वही पैरामीटर प्राइवेट विश्वविद्यालयों पर भी लागू होने चाहिए और राज्य सरकारों को इन मानकों में किसी प्रकार की छूट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि किस स्थान पर कितने और किस प्रकृति (मेडिकल, टेक्निकल, एग्रीकल्चर, ट्रेडीशनल नॉलेज या जनरल डिग्री) के प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जाएं क्योंकि विश्वविद्यालय कोई माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं, जिन्हें जनसंख्या आधार पर हर स्थान पर अनिवार्य रूप से स्थापित करना हो। उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए गुणवत्ता और संसाधन सर्वोपरि हैं। यदि किसी स्थान पर भौगोलिक, आर्थिक या राजनीतिक कारणों से उपर्युक्त दोनों बातें संभव नहीं हैं तो वहां यूनिवर्सिटी नहीं खोली जानी चाहिए। प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मामले में संसाधनों के साथ-साथ शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। यह कार्य यूजीसी के माध्यम से सुगमता से किया जा सकता है। यूजीसी को एक केंद्रीय पोर्टल विकसित करना चाहिए जिसमें पूरे देश के योग्य उम्मीदवारों (जिन्होंने नेट, पीएचडी या अन्य उच्च योग्यता प्राप्त की हो) की अकादमिक, शैक्षिक और शोध-संबंधी जानकारी दर्ज हो। इसी क्रम में विश्वविद्यालयों को आदेशित किया जाना चाहिए कि वे केवल उन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति करें जिनका पंजीकरण उस पोर्टल पर है। इससे शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता स्वत: निर्धारित हो सकेगी और कम योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति को रोका जा सकेगा। जिस प्रकार मेडिकल कॉलेजों के मामले में व्यवस्था बनाई गई है कि कोई एक व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर नियुक्त नहीं दिखाया जा सकता, वैसा ही मैकेनिज्म प्राइवेट यूनिवर्सिटी के मामले में भी लागू किया जाना जरूरी है। इसे लागू करने में सरकार को किसी बड़ी पूंजी की नहीं, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। प्राइवेट विश्वविद्यालयों के मामले में दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित है। देश के अनेक राज्यों में अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है। इससे लाभ यह है कि एक निर्धारित तिथि के बाद कहीं भी प्रवेश नहीं हो सकता और परीक्षा का समय भी पूर्व निर्धारित रहता है। यदि सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी समर्थ पोर्टल के दायरे में लाया जाए तो बैक-डोर प्रवेश, निर्धारित तिथि के बाद दाखिले, पुराने वर्षों की परीक्षाएं कराकर डिग्री प्रदान करने जैसे अनियमितताओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। औसत और निम्न श्रेणी के प्राइवेट विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या शोध उपाधियों की अनियमितता से जुड़ी है और इसमें यूजीसी की लापरवाही भी एक बड़ा कारक है। पीएचडी उपाधियों की खरीद-फरोख्त और बैक डेट में प्रवेश जैसी अनियमितताओं को रोकना कठिन नहीं है। इसके लिए यूजीसी को यह नीति लागू करनी चाहिए कि प्राइवेट विश्वविद्यालय केवल उन्हीं छात्र-छात्राओं को पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश दें जिन्होंने राज्य सरकार का सेट या यूजीसी नेट, यूजीसी नेट फॉर पीएचडी, सीएसआईआर नेट या इसी स्तर की कोई राष्ट्रीय परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्रतिवर्ष इन परीक्षाओं को मिलाकर एक लाख से अधिक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं जबकि पीएचडी में हर साल नए पंजीकृत शोधार्थियों की संख्या लगभग पचास हजार के आसपास होती है। इस प्रकार यह दावा कि पीएचडी के लिए योग्य छात्र नहीं मिल सकेंगे, तथ्यात्मक रूप से निराधार सिद्ध होता है। जैसे ही इन परीक्षाओं के आधार पर ही प्रवेश अनिवार्य किया जाएगा, शोध उपाधियों के अवैध कारोबार को नियंत्रित करने में बड़ी सफलता मिल सकेगी। साथ ही, जो छात्र पीएचडी में पंजीकृत किए जाएं, उनका समानांतर पंजीकरण यूजीसी या भारत सरकार के किसी केंद्रीय पोर्टल पर अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिससे बाद में किसी प्रकार की अनियमितता न हो। अभी शोध गंगा पर सिनॉप्सिस और पीएचडी शोध प्रबंध को अपलोड किया जाता है, लेकिन इसके लिए टाइम लाइन निर्धारित नहीं है। पीएचडी उपाधि तभी कन्फर्म होनी चाहिए, जब सिनॉप्सिस और शोध प्रबंध, दोनों अपलोड कर दिए गए हों और दोनों को अपलोड करने की अवधि के बीच निर्धारित अंतराल पूरा हो। इसके साथ साथ अन्य सभी व्यावसायिक उपाधियों में भी शत-प्रतिशत प्रवेश राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के माध्यम से ही होना चाहिए, जैसा कि केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में होता है। इससे गुणवत्ता स्वत: निर्धारित होती है और प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। इन बातों को लागू करने का एक बड़ा लाभ यह होगा कि निम्न श्रेणी के प्राइवेट विश्वविद्यालय या तो अपनी गुणवत्ता सुधरेंगे या स्वत: ही बंद हो जाएंगे। इस समस्त चर्चा के बीच एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि वास्तव में भारत को कितने विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। इस समय देश में केंद्रीय, राज्य, डीम्ड, प्राइवेट और समकक्ष संस्थानों की संख्या बारह सौ से अधिक है। और यह हर साल बढ़ रही है। यह संख्या उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को पचास प्रतिशत तक ले जाने के लक्ष्य के लिए पर्याप्त प्रतीत होती है। इसलिए नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के मामले में केंद्र और राज्यों दोनों को आवश्यकता-आकलन आधारित नीति अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य, जिसकी जनसंख्या लगभग एक करोड़ है, में तीन दर्जन विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर-पूर्व के कई राज्यों में कुछ लाख की आबादी पर डेढ़-दो दर्जन विश्वविद्यालय संचालित हैं। प्रश्न यह है कि इतनी बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों की आवश्यकता किस आधार पर उत्पन्न हुई, जबकि विश्वविद्यालय कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसे कुछ हजार की आबादी के आधार पर खोला ही जाना चाहिए। यदि यह गतिविधि विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, तो दस लाख से भी कम आबादी वाले सिक्किम में दर्जन भर विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का क्या औचित्य? वस्तुत: यह कमजोर नियमों का लाभ उठाने की कोशिश ही है। अब, उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित ऑडिट इन सभी विश्वविद्यालयों की व्यापक जांच करेगा और निकट भविष्य में निम्न श्रेणी के विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र से बाहर किया जा सकेगा। साथ ही, शुल्क नियमन, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और पारदर्शी प्रवेश-प्रणाली जैसी व्यवस्थाएँ बेहतर रूप में सामने आ सकेंगी।

मानव अधिकार संरक्षण दिवस पर 13 संस्थाओं को किया सम्मानित

राज्य हमेशा मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है- एडीजी अभिनव कुमार

मानव अधिकार संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं को संरक्षण दिए जाने का एक्ट में है प्रावधानः न्यायमूर्ति राजेश टंडन

मानव अधिकार संरक्षण केंद्र के तत्वावधान में राजपुर रोड स्थित एक होटल में मानव अधिकार संरक्षण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम एक विचार गोष्ठी ''नए बीएस कानून और मानवाधिकारों का संरक्षण'' विषय के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य कर रही 13 संस्थाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट दैनिक लोक अदालत के पीठासीन सदस्य न्यायमूर्ति डॉ राजेश टंडन ने कहा कि नए बीएस कानून में बहुत सारे संशोधन ऐसे हुए हैं जो मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि मानव अधिकार संरक्षण कानून- 1993 में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन का प्रावधान है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक (कारागार, सुरक्षा एवं अभिसूचना) अभिनव कुमार, आईपीएस ने कहा कि राज्य हमेशा से मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। मानव अधिकार संरक्षण कानून 1993 में लागू हुआ और मैं 1993 में मैंने नौकरी ज्वाइन की और इसी वर्ष जनवरी में मेरी सेवा को 30 वर्ष हो जाएंगे। मैं इन 30 वर्षों में समय के साथ-साथ मानव अधिकार संरक्षण कानून को धरातल पर क्रियान्वित होते हुए देखा है। 30 वर्ष पूर्व पूरे देश में कस्टोडियन टॉर्चर के मामले हजारों में होते थे लेकिन मानव अधिकार संरक्षण एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन, न्यायपालिका, मानवाधिकार आयोग एवं मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए बनी अन्य संस्थाओं की सक्रियता और प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की सक्रियता के बाद अब यह घटकर लगभग ढाई सौ के आसपास वह भी छोटी-मोटी टॉर्चर की घटनाएं अभी भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन यह प्रयास तब तक जारी रहेगा तब तक यह शून्य हो जाए। इसी प्रकार दहेज प्रथा उन्मूलन कानून आज से तकरीबन 60 वर्ष पूर्व बना था और धीरे-धीरे समय के साथ समाज में जागरूकता आई और दहेज के कारण होने वाले टॉर्चर और हत्याओं में बहुत तेजी के साथ कमी आई। मेरा कहना यह है कि जब कानून बनते हैं वह पहला कदम होता है। उनका धरातल पर क्रियान्वयन होना और समाज में जागरूकता यह दूसरा उसका कदम होता है। इसमें हमारे समाज और समाज के बीच में कार्य करने वाली संस्थाएं, सरकार द्वारा स्थापित आयोग, हमारे प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र बहुत कारक सिद्ध हुआ हैं। इस अवसर पर मानव अधिकारों के संरक्षण संवर्धन एवं मानव जीवन को ऊंचा उठने के लिए कार्य करने वाली 13 संस्थाओं को सम्मानित किया गया जिनमें प्रमुखता उदयन केयर ट्रस्ट, प्रथम स्वास्थ्य फाउंडेशन, जय राम मेमोरियल शिक्षा एवं नारी उत्थान समिति, श्री महाकाल सेवा समिति, समर्पण सेवा समिति, जानकी देवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, भारतीय ग्रामोत्थान संस्थान, भारतीय भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ, प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, काजमी मानव सेवा ट्रस्ट, एमजेएफ लायन चरणजीत सोई को 'नौवें मानव अधिकार संरक्षण रत्न सम्मान' से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में डॉ प्रेम कश्यप द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ कुंवर राज अस्थाना द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पदमश्री डॉ आरके जैन, अशोक वर्मा, अनिल वर्मा, राजकुमार पुरोहित, आर. पी. गुप्ता, डॉ अजय सक्सेना, डॉ सुनील अग्रवाल, राजीव वर्मा, एड. पीयूष अग्रवाल, एसपी सिंह, अकबर सिद्दीकी, संजय जोशी, विमल डबराल, संजीव शर्मा, राजीव थपलियाल, वीडी शर्मा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

"9वें मानव अधिकार संरक्षण रत्न" से सम्मानित स्वयं सेवी संस्थाएं

1. उदयन केयर ट्रस्ट, दिल्ली
2. प्रथम श्वास फाउंडेशन, देहरादून
3. श्री बालाजी सेवा समिति, देहरादून
4. श्री जयराम मेमोरियल शिक्षा एवं नारी उत्थान समिति, देहरादून
5. श्री महाकाल सेवा समिति, देहरादून
6. समर्पण सोसाइटी फॉर हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देहरादून
7. श्री अर्श सिद्दीकी, जेएसआई उत्तराखंड चैप्टर, देहरादून
8. भारतीय ग्रामोत्थन संस्थान, ऋषिकेश
9. जानकी देवी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, देहरादून
10. भारती श्रमजीवी पत्रकार संघ, दिल्ली
12. एमजेएफ़ लॉयन चरणजीत सोई, अध्यक्ष, लॉयन क्लब जिला 321 C1
13. श्री अशोक राठौर, थानाध्यक्ष, वसंत विहार, देहरादून

2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्णः राज्यपाल

उत्तरांचल विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह सम्पन्न

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने शुक्रवार को उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून के छठे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को मेडल और उपाधियां प्रदान कर शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की स्मारिका का विमोचन भी किया। भाषण में राज्यपाल ने कहा कि यह समारोह केवल डिग्री प्रदान करने का अवसर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के परिश्रम और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्र निर्माण में करें। उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल बुद्धि का विकास न होकर चरित्र निर्माण है, और आज के परिवर्तित वैश्विक परिदृश्य में ईमानदारी, अनुशासन तथा नैतिक मूल्यों का महत्व और बढ़ गया है।

राज्यपाल ने विद्यार्थियों को "राष्ट्र प्रथम" की भावना को सदैव सर्वोपरि रखने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह देश के विकास में योगदान दे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी स्नातक विद्यार्थियों को जीवन में सफलता प्राप्त करने और देश व राज्य का गौरव बढ़ाने की शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के बहुविषयी शिक्षा, शोध, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। दीक्षांत समारोह में कुलपति प्रो. धर्मबुद्धि ने उपस्थित सभी लोगों का स्वागत किया और विश्वविद्यालय की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जितेन्द्र जोशी, उपाध्यक्ष अंकिता जोशी, श्रीमती अनुराधा जोशी, प्रति कुलपति राजेश बहुगुणा, कुलसचिव डॉ. अनुज राणा सहित विश्वविद्यालय के शिक्षा परिषद, कार्य परिषद के सदस्य और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में एचईओसी निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति, उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बड़ी छलांग

आपदा एवं महामारी प्रबंधन की दिशा में राज्य के प्रयासों को नई मजबूती प्रदान करेगा हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी देने के बाद राज्य में स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निरंतर मार्गदर्शन में एचईओसी की स्थापना का कार्य देहरादून स्थित महानिदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिसर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय टीम ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में बन रहे निर्माणाधीन हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एचईओसी का निरीक्षण किया। टीम ने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टमटा से भेंट की और निर्माण कार्य की गुणवत्ता, संरचना और डिजाइन पर विस्तार से चर्चा की। इसके बाद टीम ने नोडल अधिकारी डॉ. पंकज सिंह के साथ निर्माण स्थल का दौरा किया और केंद्र की तैयारियों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी एवं व्यवस्थित कार्यप्रणाली की सराहना की। इस निरीक्षण प्रक्रिया ने न केवल परियोजना की विश्वसनीयता को मजबूत किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर एचईओसी को एक मॉडल संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार की टीम में डॉ. सैयद जुल्फेकार अहमद, क्षेत्रीय निदेशक, आरओएचएफडब्ल्यू, लखनऊ, डॉ. निश्चय केशरी, चिकित्सा अधिकारी, आरओएचएफडब्ल्यू, लखनऊ, श्री आशिष, परामर्शदाता, श्री हेमंत नेगी मौजूद रहे तथा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की तरफ से एचईओसी नोडल अधिकारी डॉ. पंकज सिंह तथा डॉ. सुजाता सिंह उपस्थित रहे।

भारत सरकार की टीम का निरीक्षण, गुणवत्ता पर संतुष्टि स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के निर्माण कार्य का लगभग आधा हिस्सा पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी निर्धारित गति से प्रगति पर है। उम्मीद है कि यह केंद्र जनवरी 2026 के अंत तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे औपचारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस केंद्र के संचालन को लेकर पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों को आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आपात प्रतिक्रिया से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि केंद्र के शुरू होते ही यह अत्याधुनिक क्षमता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत उत्तराखंड राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार ने राज्य में हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की स्थापना को मंजूरी प्रदान की थी। इस केंद्र के निर्माण का आधा कार्य पूरा हो चुका है। इस केंद्र के जनवरी 2026 के अंत तक पूर्ण होने की संभावना है तत्पश्चात यह केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड राज्य को हस्तांतरित कर दिया जाएगा जिसका संचालन स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षित एवं अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। यह केंद्र भविष्य में उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा का मुख्य आधार बनने जा रहा है और आपदा एवं महामारी प्रबंधन की दिशा में राज्य के प्रयासों को नई मजबूती प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि एचईओसी की स्थापना से उत्तराखंड स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। यह केंद्र न केवल आपदाओं के समय तेजी से प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगा, बल्कि सामान्य परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य संबंधी निगरानी, डेटा विश्लेषण और निर्णय प्रक्रिया को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगा। इससे जिलों के बीच समन्वय बेहतर होगा और राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता व गति आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकता सूची में स्वास्थ्य क्षेत्र लगातार शीर्ष पर रहा है और एचईओसी परियोजना इस प्रतिबद्धता का एक जीवंत उदाहरण है। राज्य सरकार का विश्वास है कि केंद्र के पूर्ण रूप से कार्यरत

हो जाने पर उत्तराखंड न केवल अधिक सुरक्षित होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान भी स्थापित करेगा। यह केंद्र उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुरक्षा को नई ऊर्जा, नई मजबूती और नई दिशा प्रदान करेगा, यही राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है।

आपदाओं और महामारियों पर त्वरित प्रतिक्रिया का केंद्र बनेगा एचईओसी स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि एचईओसी की स्थापना से राज्य को स्वास्थ्य आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित और सटीक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में बड़ी सहायता मिलेगी। केंद्र स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों को हर समय मजबूत रखेगा और संभावित खतरों की समय पर पहचान कर उचित कार्रवाई को संभव बनाएगा। यह केंद्र कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारियों के दौरान हुए अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक निगरानी तंत्र से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे किसी भी महामारी का प्रारंभिक चरण में पता लगाकर नियंत्रण किया जा सके। धराली जैसी आपदा स्थितियों में राज्य की प्रतिक्रिया क्षमता को भी यह केंद्र कई गुना बढ़ा देगा। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एचईओसी न केवल एक भवन या संरचना नहीं, बल्कि उत्तराखंड की भविष्य की स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होगा।

राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने का प्रयास

स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने बताया कि देशभर में एचईओसी केंद्रों की स्थापना केंद्र सरकार की उस व्यापक दृष्टि का हिस्सा है, जिसमें भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए देश को तैयार करना शामिल है। यह केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने और आपदा एवं महामारी प्रबंधन में राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देगा। उत्तराखंड के लिए यह परियोजना विशेष महत्व रखती है क्योंकि पहाड़ी भूगोल, प्राकृतिक आपदाओं की संवेदनशीलता और भौगोलिक चुनौतियों को देखते हुए यहां स्वास्थ्य आपात प्रबंधन के लिए एक मजबूत तंत्र की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। एचईओसी की स्थापना इस दिशा में एक ठोस और प्रभावी कदम है, जो आने वाले वर्षों में राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को नई पहचान दिलाएगा।

उत्तराखंड में शहरी गरीबों के आवास संबंधी चुनौतियों पर संगोष्ठी का आयोजन

देहरादून स्थित पर्यावरणीय एक्शन और एडवोकेसी समूह 'SDC फाउंडेशन' तथा 'दून समग्र विकास अभियान' द्वारा उत्तराखंड में आवास और झुग्गी बस्तियों से जुड़ी चुनौतियों पर एक विस्तृत चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता एवं 'SDC फाउंडेशन के संस्थापक 'अनूप नौटियाल' ने किया। चर्चा में तीन वक्ताओं-शहरी योजनाकार एवं 'शोधकर्ता मुक्ता नाइक, सुशासन एवं विधिक विशेषज्ञ' 'अर्कजा सिंह' तथा शोधकर्ता एवं सामुदायिक कार्यकर्ता 'शंकर गोपाल' ने भाग लिया। तीनों वक्ताओं ने देहरादून जैसे शहरों में अधिक मानवीय और व्यवहारिक आवास समाधान विकसित करने के लिए अपने अनुभव साझा किए। मुक्ता ने बताया कि "सस्ती आवासीय सुविधा" की चर्चा तो खूब होती है, पर इसे व्यवहारिक रूप से समझा कम जाता है। यदि देहरादून में वास्तव में आवास लागत और पहुंच दोनों के लिहाज से सस्ती होतीं, और लोग अपने कार्यस्थलों, परिवहन, स्कूलों और आवश्यक सेवाओं तक सरलता से पहुंच पाते, तो झुग्गी बस्तियों का विस्तार जारी न रहता।

उन्होंने कहा कि झुग्गियां इसलिए नहीं बनतीं कि लोग उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि औपचारिक आवास व्यवस्था उनकी आय के अनुरूप विकल्प प्रदान नहीं करती। भूमि के बढ़ते दाम, किराए के आवास की कमी, कमजोर शहरी नियोजन और निर्माण लागत में वृद्धि ये सभी कारक झुग्गियों के बनने की स्थितियां पैदा करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बेदखली और जबरन पुनर्वास से न तो समस्या हल होती है और न ही बस्तियां कम होती हैं लोग अक्सर दूसरी जगह नई झुग्गियों में बसने को मजबूर होते हैं, जिससे गरीबी और असुरक्षा बढ़ती है। मुक्ता ने कहा कि हर चीज का दोष राजनीतिक संरक्षण पर डाल देना समस्या की संरचनात्मक गहराई को नजरअंदाज करना है। ओडिशा और केरल के सफल उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि 'इन-सीटू सुधार' और 'सामुदायिक नेतृत्व वाले पुनर्विकास' मॉडल सफल रहे हैं, जबकि शहरों से दूर स्थानांतरण वाले प्रोजेक्ट विफल साबित हुए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि उत्तराखंड के नदी तटों और जोखिमभरे क्षेत्रों में बढ़ते जलवायु खतरों को ध्यान में रखते हुए, दीर्घकालिक, गरिमापूर्ण और जलवायु-संवेदी नीतियां जरूरी हैं। अर्कजा सिंह ने कहा कि देहरादून की मौजूदा स्थिति का बड़ा कारण शहरी नियोजन में खामियां, अस्पष्ट भूमि अभिलेख और संस्थागत विखंडन है। वर्षों तक शहर का विस्तार बिना पर्याप्त जोनिंग, आधारभूत ढांचे या सेवा प्रावधानों की योजना के हुआ-जिससे बड़ी आबादी अनौपचारिक आवास पर निर्भर रहने को मजबूर हुई।

उन्होंने उत्तराखंड के कानूनी ढांचे '2016 स्लम पुनर्विकास अधिनियम, उसके नियमों और '2018 सस्ती आवास अधिनियम' को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया कि ये कानून दिशा तो देते हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत संस्थान, स्पष्ट प्रक्रियाएं और वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है।

मध्यप्रदेश के अपने अनुभव साझा करते हुए अर्कजा ने बताया कि वहां नगर निगमों और समुदायों की संयुक्त भागीदारी से एक बड़े पैमाने का 'सामुदायिक-नेतृत्व वाला स्लम उन्नयन कार्यक्रम' सफलतापूर्वक लागू हुआ। यह मॉडल दिखाता है कि कानूनी ढांचा तभी प्रभावी होता है जब उसमें विश्वास निर्माण, सहभागी नियोजन और स्थिर प्रशासनिक समर्थन जुड़ा हो। उन्होंने राष्ट्रीय कानूनी उदाहरणों का भी उल्लेख किया जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उनका संदेश स्पष्ट था-उत्तराखंड की नीतियों को न्याय, प्रक्रिया की पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए, अन्यथा कानून सिर्फ कागज में रह जाएंगे।

शंकर गोपाल ने चर्चा को जमीन से जुड़े अनुभवों की ओर वापस ले गए। उन्होंने बताया कि दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, ड्राइवर, निर्माण श्रमिक और शहर को चलाने वाले अनेक लोगों के लिए आवास संकट रोजमर्रा की असल चुनौती है।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति-2026-36 का किया शुभारम्भ

आगामी सालों में करीब 1 लाख किसानों को जोड़ने का है लक्ष्य

लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की होगी खेती

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति-2026-36 का शुभारम्भ किया। उन्होंने सेटेलाइट सेन्टर भाऊवाला का लोकार्पण एवं सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई स्थित ए.एम. एस (C-14) प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कुल 5 सेटेलाइट सेन्टरों का भी शिलान्यास किया। यह सेटेलाइट सेंटर - परसारी (चमोली), रैथल (उत्तरकाशी), भैसोड़ी (अल्मोड़ा), खतेड़ा (चंपावत) एवं विषाड (पिथौरागढ़) में स्थापित किए जाएंगे।

कार्यक्रम के दौरान सुगंध पौधा केन्द्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक्सटेंशन (विस्तार), अनुसंधान एवं विकास, मानव संसाधन विकास, मार्केटिंग आदि के क्षेत्र में कैप और डाबर के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है। एम.ओ.यू के दौरान कैप की ओर से निदेशक कैप नृपेन्द्र सिंह चौहान, एवं डाबर की अधिशासी निदेशक डाबर डॉ. सौरभ लाल मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कैप के फाउण्डर वैज्ञानिकों एवं लेमनग्रास - तुलसी की खेती करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने परफ्यूमरी प्रयोगशाला का भी भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति के शुभारंभ को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस नीति के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को विकसित करने की शुरुआत होगी। प्रथम चरण में पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, चमोली एवं अल्मोड़ा में डैमस्क रोज वैली, ऊधमसिंह नगर में मिन्ट वैली, चम्पावत और नैनीताल में सिनेमन वैली तथा हरिद्वार और पौड़ी में लेमनग्रास एवं मिन्ट वैली विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा इस नीति के अंतर्गत पौधशाला विकास सहयोग, खेती हेतु अनुदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता-विकास, फसल बीमा, तथा पैकेजिंग और ब्रांडिंग जैसी आवश्यकताओं की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के अंतर्गत राज्य में लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की खेती को विकसित कर करीब 1 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। आगामी दस वर्षों में राज्य में सुगंधित फसलों की खेती के टर्नओवर को सौ करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग रू1200 करोड़ तक पहुंचाने में सफलता मिलेगी। जिससे किसानों के साथ राज्य की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व राज्य सरकार, प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि हेतु संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को 3 लाख रूपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। राज्य में गेहूं खरीद पर किसानों को 20 रूपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान रहे हैं। गन्ने के रेट में भी 30 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोत्तरी की गई है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त करने का काम किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस के निर्माण के लिए 200 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान भी किया है। जिसके तहत राज्य में लगभग 115 करोड़ रुपए की सहायता से करीब 350 पॉलीहाउस स्थापित किए जा चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है।

पीआर विजन-2047 विकसित भारत के निर्माण में निभाएगा अहम भूमिका: सीएम धामी

47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस-2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल एमरॉल्ड ग्रैण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस-2025 में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया तथा कॉन्फ्रेंस स्थल पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण कर स्थानीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहन दिया।

देहरादून 13 से 15 दिसंबर तक 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है, जिसमें देशभर के जनसंपर्क एवं कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स भाग ले रहे हैं। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित यह सम्मेलन "विकसित भारत @2047: विकास भी, विरासत भी" थीम पर केंद्रित है।

सम्मेलन का उद्घाटन 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तीन दिवसीय आयोजन में उत्तराखंड की 25 वर्ष की विकास यात्रा, मीडिया व जनसंपर्क की भूमिका, तकनीक, जीएसटी, एआई, साइबर क्राइम, मिसइन्फॉर्मेशन और अंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क जैसे विषयों पर विशेषज्ञ सत्र आयोजित होंगे। रूस से आए प्रतिनिधियों की सहभागिता सम्मेलन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देगी। 15 दिसंबर को सम्मेलन का समापन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देशभर से आए जनसंपर्क विशेषज्ञों, प्रतिनिधियों एवं युवा प्रतिभाओं का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ष की थीम "पीआर विजन फॉर-2047" विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अत्यंत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि आज के समय में पब्लिक रिलेशन केवल सूचना संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी अंग बन चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में, जहाँ एक ओर सूचना की प्रचुरता है, वहीं दूसरी ओर गलत सूचना की चुनौती भी गंभीर है। ऐसे में सरकार और जनता के बीच सही, समयबद्ध और भरोसेमंद संवाद स्थापित करना जनसंपर्क की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक आपदाओं एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में संवाद केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि विश्वास की बुनियाद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन, सुशासन, धार्मिक एवं पर्यटन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भविष्य की पीआर प्रणाली को तेज, तकनीकी रूप से सक्षम और जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा, ताकि सरकार और जनता के बीच आदेश का नहीं बल्कि साझेदारी और विश्वास का संबंध स्थापित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पब्लिक रिलेशन संकट के समय एक सक्षम कमांड सेंटर की भूमिका निभाने के साथ-साथ, देश के लिए सकारात्मक नैरेटिव गढ़ने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से निकला यह विजन विकसित भारत-2047 के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राज्य की विकास यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2024-25 में लगभग 3.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने जा रहा है तथा प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही राज्य में बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी और बेरोजगारी दर में ऐतिहासिक कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई एवं रेल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक अवसंरचना का विकास तेजी से किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन, वेलनेस, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग एवं वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में भी सरकार निरंतर प्रयासरत है।

साधकों के अध्यात्म को मुखर बनाता हिमालय का मौन कर्मयोगी

डॉ. हरीश चन्द्र अन्डोला

एक समय यदि भारत को विश्व गुरु कहा जाता था तो उसकी तार्किक वजह थी। आर्थिक समृद्धि से उपजी विसंगतियां भारत की सॉफ्ट पावर आध्यात्म पश्चिमी जगत समेत पूरी दुनिया को सम्मोहित करता रहा है। प्राच्य विद्या, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और अध्यात्मिक ऊर्जा भारत की बहुमूल्य धरोहर सदैव रही है। यही वजह है कि जीवन के सत्य की तलाश में तमाम विदेशी लोग भारत आते रहे हैं। हालांकि, विडंबना यह है कि आज आम भारतीय उन पश्चिमी जीवन मूल्यों व भौतिक लिप्साओं को अपना आदर्श मानने लगा है, जिससे पश्चिमी जगत उकता चुका है। पिछले दिनों ऋषिकेष से कोई चालीस किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाले सिंगथाली गांव के निकट बड़ी संख्यों में विदेशी योगनियों की सक्रियता और आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बना हुआ था। जो स्थानीय लोगों के लिए कौतुहल का विषय बना रहा। इन विदेशी साधकों की हिमालय की शक्तियों को जानने की तीव्र आकांक्षा मुखरित हो रही थी। ये साधक कभी देवप्रयाग के संगम में श्रद्धानत होकर डुबकी लगाते, कभी ऋषिकेश तो कभी हरिद्वार के गंगा तटों पर सूर्य साधना करते नजर आते। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों 'अवेकन-द जर्नी ऑफ सेल्फ-डिस्कवरी' मुहिम में भाग लेने दुनिया के तीस देशों के करीब डेढ़ सौ साधक उत्तराखंड आए हुए थे। इन योग साधकों में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, चीन, साइप्रस, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग,मलेशिया, यूएई, वियतनाम, मॉरीशस, त्रिनिदाद और यूरोप के कई देशों की योगनियां शामिल थीं। सही मायनो में हिमालय एक ऐसा पवित्र स्थान रहा है, जहां प्राचीन योगिक ज्ञान, ऊर्जा प्रक्रियाएं और चेतनाधारित साधनाएं अपने शुद्धतम रूप में मानव कल्याण के लिये प्रवाहित होती रही हैं। निस्संदेह, दुनियाभर से आने वाले योग साधकों की सक्रिय भागीदारी हिमालयीय परंपरा में बढ़ते वैश्विक विश्वास और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी का प्रमाण है। दरअसल, इस बहु-स्तरीय हिमालयीय साधना में साधक प्रत्येक दिन शरीर, मन, ऊर्जा और चेतना के नए आयाम खोलने के प्रयास करते हैं। हिमालय सिद्ध अक्षर के मार्गदर्शन में प्रतिभागी प्राचीन तकनीकों और गहन रूपांतरकारी अनुभवों से गुजरते हैं। वे दिन की शुरूआत शास्त्रीय हिमालयी योग परंपरागत आसन अभ्यास से करते हैं। फिर वे अपनी मुख्य नाड़ियों इड़ा,पिंगला और सुषुम्ना को सक्रिय करने हेतु श्वास तकनीकों का सहारा लेते हैं। वहीं मन-शरीर सक्रिय करने के लिये सूर्य साधना व पंचतत्व संयोजन का आश्रय लेते हैं। हिमालय की शांत वादियों में कुदरत के मौन के साथ गंगा तट पर ये साधनाएं पूरी की जाती हैं। वास्तव में, ये विदेशी साधक आंतरिक, बाह्य व अवचेतन की जागरूकता के लिये दुर्लभ हिमालयी अभ्यासों का सहारा लेते हैं। जिसमें श्वास नियमन से शरीर के ऊर्जा चौनलों को मजबूती दी जा सके। निस्संदेह, श्वास साधनाएं मनुष्य में जागरूकता, स्थिरता और अंतर्ज्ञान को परिष्कृत करती हैं। ध्यान साधना की ये तकनीकें आम से हटकर खास सिद्ध परंपरा की तकनीकें रही हैं। जिन्हें अब जन-जन तक पहुंचाने का ऋषिकर्म हिमालय सिद्ध द्वारा किया जा रहा है। देश-विदेश में इन प्रयासों का सकारात्मक प्रतिसाद भी मिल रहा है। दरअसल, ऐसे अभियानों के जरिये मानव ऊर्जा संरचना संवर्धन, योगिक चेतना में विस्तार, प्रकृति की कॉस्मिक ऊर्जा और उसके जीवन पर प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। जिसके जरिये प्रतिभागी सीखते हैं कि ध्यान व श्वास क्रियाओं का अपने जीवन के निर्णयों और जीवन शुद्धि में कैसे उपयोग किया जाए। इसके साथ ही ध्यान एवं स्थिरता प्रशिक्षण के लिये त्राटक, पूर्णिमा व जल तत्वध्यान, मेरुदंड जागरण, उच्च आवृत्ति के साथ श्वास सामंजस्य, हिमालयी मौन साधन का सहारा लिया जाता है। लंबी साधना और सात्विक जीवन के अंगीकार के बाद ये अभ्यास साधक के लिये प्रखर बुद्धि व गहरी अंतर्दृष्टि के द्वार खोलते हैं।

दरअसल, यही वजह है कि योग के गूढ़ लक्ष्यों को हासिल करने के लिये दुनिया के कोने-कोने से आये साधक सनातन परंपरा के स्रोत और गंगा,यमुना और सरस्वती के संगम देवप्रयाग की यात्रा से सम्मोहित होते हैं। जहां वे जल-तत्व साधना, कर्म-शुद्धि अनुष्ठान, पंचतत्व आहवान, पारंपरिक सिद्धा अर्पण करते हैं। वास्तव में, हिमालय के ये स्थल ऊर्जा के गहन संयोग से युक्त हैं,जो कि साधक की साधना के फलकों को कई गुना बढ़ा देते हैं। सही मायनो में, विदेशी साधक इस तरह के योग आयोजनों के जरिये चेतना विकास, हिमालयीय दर्शन, कर्म सिद्धांत दृष्टि, समृद्धि दृष्टि, सूर्य-चंद्र ऊर्जा संतुलन, जीवन को कॉस्मिक चक्रों के अनुरूप जीने की कला सीखते हैं। जो साधकों के जीवन में परिवर्तनकारी बताए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले दिनों उत्तराखंड में दुनिया के तीस देशों से आए ये डेढ़ सौ साधक साधना के दिनों में हिमालयी संस्कृति के अनुरूप परंपरा, पवित्रता और शुचिता का अनुपालन करते रहे हैं। इस दौरान तामसिक भोजन व पेय से ही नहीं बल्कि प्याज, लहसुन व कैफीन का भी परहेज करते रहे हैं। दरअसल, हिमालयी साधना की परंपरा में गहन ऊर्जा साधना और ध्यानावस्था की सार्थकता के लिये वैचारिक व खानपान की पवित्रता को प्राथमिकता दी जाती। बेंगलुरू स्थिति योग अनुसंधान संस्थान अक्षर योग केंद्र के सूत्रधार हिमालय सिद्ध अक्षर की उपस्थिति योग साधकों को ऊर्जा दे जाती है। पिछले वर्षों में संस्थान विभिन्न आसनों के प्रदर्शनों के जरिये विश्व विख्यात गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 21 रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है। जिसके बाद संस्थान के अनुयायियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। हिमालय सिद्ध अक्षर बताते हैं कि योग को वैश्विक मान्यता मिलने के बाद दुनिया के लाखों साधक भारत आकर योग की जन्मभूमि के अहसास महसूस करना चाहते हैं। दरअसल, भौतिक सुखों की विसंगतियां इनको उपभोक्तावादी संस्कृति से विमुख कर रही हैं। वे सुकून की तलाश में योग की जन्मभूमि भारत के सात्विक सम्मोहन में बंधे चले आते हैं। उन्हें दुनिया की कोई भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व धार्मिक सीमाएं बांध नहीं पातीं। विडंबना यह है कि विदेशों में लोग जिस भौतिक संस्कृति का परित्याग करने को प्रयासरत हैं, भारत में उसका अनुकरण शान समझा जाता है। ऐसे में योग का सान्निध्य निस्संदेह, हमें सुखमय जीवन की राह दिखाता है।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

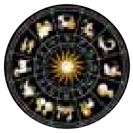
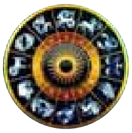
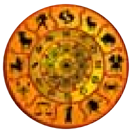

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- किसी राजनैतिक व्यक्ति द्वारा आपको उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बेहतरीन बना रहेगा। समय के अनुसार खुद में भी परिवर्तन लाएं। इस समय किसी भी तरह की व्यवसाय संबंधी उधारी न करें। प्रेम जीवन में भी निकटता बढ़ेगी। इस समय स्वास्थ्य में लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग- क्रीम, भाग्यशाली अंक- 2

वृषभ राशि- परिवार के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बातचीत हो सकती है। घर का वातावरण भी प्रसन्नता पूर्ण रहेगा। किसी के लिए बुरा न सोचें। ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। तनाव का असर स्वास्थ्य पर होगा। कुछ समय प्रकृति के साथ भी व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 4

मिथुन राशि- अनुभवी तथा वरिष्ठ लोगों के साथ मेल-मिलाप रखें तथा अपने विचारों का आदान-प्रदान भी करें। आपको समाज में मान-सम्मान और यश की भी प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों को अपने किसी विषय में चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। घर तथा व्यवसाय में उचित सामंजस्य बना रहेगा। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 1

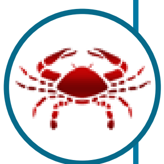

कर्क राशि- सामाजिक और सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। दांपत्य जीवन सामंजस्य पूर्ण रहेगा। नकारात्मक बातों से राहत पाने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में जरूर व्यतीत करें। रुकावटें भी दूर होंगी। सरकारी नौकरी में उच्चाधिकारियों के साथ किसी भी बात पर न उलझें। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 9

सिंह राशि- युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का हल मिल जाएगा। पति-पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। नजदीकी संबंधी के विवाहित संबंधों में अलगाव आने की वजह से चिंता रहेगी। अपने गुस्से और कठोर वाणी पर नियंत्रण रखें। आपसी संबंध मधुर रहेंगे। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 6

कन्या राशि- अधिकतर समय घर के रखरखाव देखभाल में ही व्यतीत हो जाएगा। धार्मिक स्थान में भी आपका सेवा संबंधी कोई योगदान रहेगा। युवाओं को मौज-मस्ती की अपेक्षा अपने करियर और भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पिता समान व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए लाभदायक रहेगी। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

तुला राशि- आपका बोलचाल का तरीका आपके आर्थिक व व्यावसायिक मामलों में बहुत अधिक सफलता प्रदान करेगा। संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता रह सकती है। व्यापार में अभी ज्यादा मुनाफे की उम्मीद न रखें। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 4

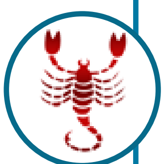

वृश्चिक राशि- संतान की किसी उपलब्धि को लेकर गर्व महसूस होगा। घर-परिवार में सुखद माहौल रहेगा। अपनी योजनाओं और गतिविधियों को किसी अनजान व्यक्ति के सामने भी जाहिर न करें। इस समय वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखना जरूरी है। अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रखने के लिए भरपूर प्रयास करें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 9

धनु राशि- आपकी कार्य क्षमता में बेहतरीन परिवर्तन आएगा। आप अपने संतुलित व्यवहार द्वारा शुभ अशुभ दोनों पक्षों में उचित तालमेल बनाकर रखेंगे। जीवनसाथी की सलाह आपके आत्मबल को बनाकर रखेगी। भावना रख सकते हैं। पड़ोसियों के साथ उलझने से आपके लिए ही परेशानी खड़ी हो सकती है। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

मकर राशि- आराम और मौज-मस्ती पर ध्यान न देकर काम पर अपना ध्यान एकाग्र करें, क्योंकि जल्दी ही इसके आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। घर-परिवार में कुछ तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। गुस्से या आवेश के बजाए धैर्य व शांति से समस्या का समाधान निकालें। साथ पारिवारिक मेल-मिलाप खुशी प्रदान करेगा। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 7

कुंभ राशि- घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर कुछ लाभदायक योजनाएं भी सफल होंगी। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों की बाधाएं दूर होंगी। लेनदेन संबंधी कार्यों में कोई फायदा होगा। वैवाहिक जीवन में सहयोगात्मक तथा भावुकता भरे संबंध रहेंगे। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 8

मीन राशि- नजदीकी संबंधों के बीच चल रहे मनमुटाव किसी की मध्यस्थता से दूर होंगे। आय के साथ-साथ खर्चे भी बरकरार रहेंगे। व्यवसाय संबंधी भविष्य की योजनाओं को अभी स्थगित रखकर वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। प्रेम संबंधों के मामले में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आराम के लिए समय निकाले। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 2

DIVYAMOL™

Divyamol Venture

Nettle Hair Oil

Benefits
- Nourish and rejuvenate scalp.
- Improve blood circulation of scalp.
- Enhance the natural shine and texture of hair.
- Stimulate hair growth and health.
- Combat hair loss and breakages.
- Keep hair hydrated and healthy.
- Reduce dandruff.

प्राकृतिक बालों की खूबसूरती का राज-
"बिच्छू बूटी तेल"

Organic Nettle Tea

Benefits
- Boost immune system
- Relief in joint pain
- Promote healthy digestion
- Purify blood and flushes out toxins
- Improve skin, Hair and Bone health
- Protect heart and relief inflammation
- Relieves menstrual cramps.

Nettle Pain Oil

Benefits
- Reduce Joint Pain
- Anti Rheumatic
- Stimulate the blood flow

मांसपेशियों के दर्द का उपचार-
"बिच्छू बूटी तेल"

fssai 22624030001042

UDYOG AADHAR MSME UK05D0011104

Contact Us:
146-A Sailok-1, GMS Road
Dehradun 248001, Uttarakhand, India
E-mail: divyamol.venture@gmail.com
Customer Care: +91 7017387260
Website: www.divyamol.co.in

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027